पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 235/2025

अनवान :

1. राजेश कुमार पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी ढ़ाका तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. बनवारी पुत्र भागुराम जाति जाट निवासी ढ़ाका तहसील भादरा।
2. सुनील कुमार पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी ढ़ाका तहसील भादरा
3. कलावती पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी ढ़ाका तहसील भादरा।
4. सन्तोष पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी ढ़ाका तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. आरएमजीबी शाखा अनुपशहर, तहसील भादरा जरिये शाखा प्रबंन्धक शाखा अनुपशहर तहसील भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सरजीत बिजारणियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाका के खाता संख्या 47/11 के खसरा संख्या 210/3 की 2.783 है0, खसरा संख्या 34 की 3.098 है0 कुल खसरा 2 की 5.881 है0 बारानी प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बनवारी अकेले की बजाय वादी राजेश कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी व प्रतिवादी संख्या 2 सुनील कुमार को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 तथा 4 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2026.02.24 17:52:13 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.0[illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़